क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3/6/25	पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार पत्रावली दिनांक 12/8/25 को पेश हो।	
12/8/25	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलान फरीकेन उपस्थित। अप्रार्थी ने बहस हेतु समय चाहा। न्यायहित में बहस हेतु अंतिम अवसर दिया जाकर पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 23/9/25 को पेश हो। sd/-	
23/9/25	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलान फरीकेन उप.। पूर्वानुसार पत्रावली दि. 26/9/25 को पेश हो। sd/-	
26/9/25	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी स्व.। अनुपस्थित। प्रार्थी के अभिभाषक की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी के अभि. ने निवेदन किया कि	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज
	विवादित आराजी में प्रार्थी एवं अप्रार्थी मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड के सहखातेदार काश्तकार व काबिज आराजी है उक्त आराजी व मकान की आराजी का पूर्व में ही मनवर के आधार पर बटवारा हो गया था उस समय यह तय हुआ कि प्रार्थी व अप्रार्थी के पिता श्री रामभजन की पुरानी रिहायशी आबादी की जायदाद को अप्रार्थी सं. 1 को दिया जिसके बदले में ख.नं. 407 हाल नम्बर 478,479 में जायदाद का हिस्सा प्रार्थी एवं तरतीबी प्रति० सं. 2 व 3 को दिया जावें। लेकिन अप्रार्थी की नीयत में अब बदनीयती आ गई है और उक्त आराजी ख.नं. 478,479 में बने हुए पुराने कमरे व अधूरी दीवाल का सहमति से विभाजन हुआ लेकिन अप्रार्थी उक्त मनवर के विभाजन को मानने को

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
इनकार कर रहा है अप्रार्थी मनवर वरवारे की आराजी ख०न० 478 व 479 की पैमाईश राजस्व कर्मचारियों से कराकर बाउंड्री/तरमीमी प्रति० सं० 2 व 3 के बने हुए पुराने मकानियात को प्रशासन से तथ्यों को छिपाते हुए तुड़वाने पर उतारू है। प्रार्थी के अधि० ने इस न्यायालय द्वारा जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दि० 31-5-2023 को तस्फिया वाद तक कन्फर्म किये जाने हेतु निवेदन किया। मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के अभिभाषक के तर्कों पर मनन किया गया। आराजी ख०न० 479 अप्रार्थी सं० 1 की खातेदार आराजी होने के कारण मुतनाजा ख०न० को छोड़कर शेष खसरा नम्बरों पर जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को तस्फिया वाद तक कन्फर्म किया जाना न्याय संगत है	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज
	अतः इस न्यायालय द्वारा अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 31-5-2023 से जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा में से आराजी ख०नं० 479 रकबा 0.04 हैक्टे० को छोड़कर, शेष खसरा नम्बरों पर जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को फैसला वाद तक कंफर्म किया जाता है। पत्रावली पोजल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो मूल वाद के साथ जुड़ हो।
	(हस्ताक्षर)